Railway Godown at Kiratpur Sahib Station

1970. Shri Daljit Singh: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the construction of a Railway godown at Kiratpur Sahib station on the Rupar-Nangal Dam Section of the Northern Railway was sanctioned during the Second Five Year Plan period, but the same has not so far been taken up; and

(b) if so, the reasons for stopping the construction of the godown there?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) The work has already been completed in July 1965.

(b) Does not arise.

Welfare of Scheduled Castes in Punjab

1971. Shri Daljit Singh: Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) the amount proposed to be spent on the welfare of Scheduled Castes in Punjab during 1966-67;

(b) the items on which this amount will be spent; and

(c) the other arrangements made for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar): (a) Rs. 47.10 lakhs.

(b) A list of schemes is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-5757/66].

(c) In addition to Rs. 47.10 lakhs proposed to be sent on the welfare of Scheduled Castes in Punjab during 1966-67, an allocation of Rs. 3.00 lakhs has been approved for 1966-67 for the scheme of Tribal Development Blocks at Lahaul and Spiti under the Centrally Sponsored Programme for the welfare of Scheduled Tribes.

बर्तनों का निर्माण

1972. श्री विभूति मिश्र : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के बर्तन निर्माताओं को निदेश दिया है कि वे एल्युमिनियम के ही बर्तन बनायें तथा ताम्बे और पीतल के नहीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन बनाना और खाना स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है ?

उद्योग मंत्री (श्री दा० संजीवय्या) : (क) और (ख). दुर्लभ औद्योगिक सामग्री नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत तांबे तथा पीतल के चक्के बनाने पर, जिनका मुख्य रूप से बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया गया है । हालांकि बर्तन बनाने में एल्युमिनियम का प्रयोग करने के लिए कोई निश्चित आदेश जारी नहीं किए गए हैं तो भी उद्योग को सामान्य रूप से बर्तन बनाने के लिए तांबे तथा पीतल के स्थान पर अन्य सामान का प्रयोग करने के लिए परामर्श दिया गया है ।

(ग) भारतीय मानक संस्था ने बर्तनों के लिए ढले हुए एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम मिश्रण (आई० एस० 20-1959) तथा पिटे हुए एल्युमिनियम (आई० एस० 21-1959) के दो मानक तैयार किए हैं जिनका प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है । राज्य सरकारों/प्रशासनों से कहा